न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रेफरेन्स प्रकरण संख्या 52/2017

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ,मसूदा, अजमेर। .....प्रार्थी

बनाम

श्री छोटी पत्नि सुवाराम कौम नाई सा0 मसूदा। ..... अप्रार्थी

रेफरेन्स अन्तर्गत राज0 भू.राजस्व (निजी वन विकास हेतु अकृषि योग्य बंजर भूमि का आवंटन नियम 1986 के उप नियम 18

उपस्थित :– 1. श्री शुभकरणसिंह चौधरी राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक :– 17.01.2018

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम मसूदा की आराजी खसरा नं0 4228/3 रकबा 6–05–00 किस्म गै0मु0दांती संवत् 2070 से 2073 की जमाबन्दी में छोटी देवी पत्नी सुवाराम कौम नाई सा0 मसूदा के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है जो कि जिला कलक्टर अजमेर के आवंटन आदेश कमांक आ.क./भू.अ./निजी वन विकास/86/682–686 दिनांक 30.01.87 द्वारा आवंटन की गई। आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो का पालना नहीं करने तथा आवंटन को 25 वर्ष पूर्ण होने से उक्त आवंटन राजस्थान भू–राजस्व (निजी वन विकास हेतु अकृषि योग्य बंजर भूमि का आवंटन) नियम 1986 के उपनियम 18 के अन्तर्गत निरस्त करने हेतु प्रार्थी द्वारा यह रेफरेन्स इस न्यायालय मे पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीया स्वयं उपस्थित आयी तथा जवाब नोटिस पेश किया। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई। दौराने सुनवाई अप्रार्थिया के उपस्थित नहीं आनें पर उपस्थित पैरोकार सरकार को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम मसूदा की आराजी खसरा नं0 4228/3 रकबा 6–05–00 किस्म गै0मु0दांती संवत् 2070 से 2073 की जमाबन्दी में छोटी देवी पत्नी सुवाराम कौम नाई सा0 मसूदा के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है जो कि जिला कलक्टर अजमेर के आवंटन आदेश कमांक आ.क./भू.अ./निजी वन विकास/86/682–686 दिनांक 30.01.87 द्वारा आवंटन की गई। आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो का पालना नहीं होने तथा आवंटन को 25 वर्ष पूर्ण होने से उक्त आवंटन राजस्थान भू–राजस्व (निजी वन विकास हेतु अकृषि योग्य बंजर भूमि का आवंटन) नियम 1986 के उपनियम 18 के अन्तर्गत निरस्त कर भूमि सिवाय चक दर्ज करने के आदेश प्रदान करावें।

न्यायहित में प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। अप्रार्थिया द्वारा जवाब में अंकन किया कि प्रार्थिया के पति की मृत्यु उपरान्त बच्चो के पालन पोषण की जिम्मेदारी के मध्यनजर सहानुभूति रखते हुए राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रश्नगत भूमि प्रार्थिया को निजी वन विकास हेतु आवंटित की गई थी। आवंटन के पश्चात प्रार्थिया द्वारा कर्ज लेकर भूमि को समतल कराया एवं निजी वन विकास नियम 1986 के प्रावधानों अनुसार पौधे लगाये एवं उनकी देखभाल भी की गई। प्रार्थिया की निजी वन विकास भूमि के आस पास सिंचाई का स्त्रोत नहीं होने एवं प्रार्थिया की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से मंहगें संसाधन नहीं खरीद

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

17/1/18
जिला कलक्टर
अजमेर

सकने कारण पौधे नष्ट हो गयें। प्रार्थिया ने हर वर्ष, बार–बार पौधे लगाये किन्तु कभी अकाल, कभी कीटों एवं अन्य विभिन्न कारणों से फलदार एवं फूलदार पौधे बढवार नहीं ले पाये एवं छोटे ही रह गये। जबकि वातावरण में अनुकूलता स्थापित करने में सफल हुए छायादार बबूल एवं अन्य लगभग 35 पौधे आज बडे–बडे पेडो के रूपे में खडें है। प्रार्थिया प्रश्नगत भूमि पर आवंटन के बाद से ही करीब 30 सालो से काबिज है। प्रार्थिया द्वारा विगत वर्षो में काफी धन खर्च कर भूमि को समतलीकरण, पत्थरों की मेडबन्दी एवं नलकूप खुदवाकर, वर्तमान उपजाऊ रूप दिया है, जिससे अपनी आजीविका भी अर्जित कर रही है। इसके अलावा प्रार्थिया के पास आजीविका का अन्य कोई स्त्रोत नहीं है। प्रार्थिया द्वारा कभी भी निजी वन विकास नियम 1986 का उल्लघंन नहीं किया गया है। प्रार्थिया गरीब विधवा है अतः प्रार्थीया को आवंटित भूमि का आवंटन यथावत रखते हुए खातेदारी अधिकार प्रदान किये जावें ताकि प्रार्थिया प्रोत्साहित होकर दुगुने उत्साह से अपने निजी वन भूमि का विकास कर सके।

हमने पैरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटी द्वारा निजि वन विकास हेतु आंवटित भूमि पर वृक्ष नहीं लगाकर, आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई। प्रश्नगत भूमि मौके पर रिक्त है। चूकि उक्त आवंटन नियम 1986 के तहत 25 वर्षो की अवधि के लिए स्वीकृत था जिसकी अवधि पूर्ण होने पर नवीनीकरण होने के तथ्य भी स्पष्ट नहीं हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 30.01.87 को ग्राम मसूदा की आराजी खसरा नं0 4228/3 रकबा 6–05–00 किस्म गै0मु0दांती का नियम 1986 के अन्तर्गत निजि वन विकास हेतु किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है तथा उक्त भूमि को पुनः सिवाय चक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 17.01.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

17/1/18

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर